"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च 2007—फाल्गुन 18, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2007

क्रमांक ई-1-01/2007/एक/2.—श्री सुनील कुजूर, भा. प्र. से. (1986) पंजीयक, सहकारी संस्थाएं एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7-2-2007 द्वारा श्री कुजूर को सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, जो यथावत् रहेगा.

2. श्री अशोक कुमार अग्रवाल, भा. प्र. से. (2000) संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

3. श्री अग्रवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कुजूर पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2007

क्रमांक ई-1-27/2004/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/49/2001-एआईएस (I), दिनांक 21-08-2001 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम-6 (1) के अंतर्गत श्री अजयबारा प्रसाद आदिथाला, भा. प्र. से. (HP : 1986) की सेवायें छत्तीसगढ़ शासन को अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर तीन वर्ष के लिये सौंपी गई थी. तदपश्चात् भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/49/2001-एआईएस (I), दिनांक 02-06-2005 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम-6 (1) के अंतर्गत श्री अजयबारा प्रसाद आदिथाला, भा. प्र. से. (HP : 1986) के छत्तीसगढ़ राज्य में अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति की अवधि में दिनांक 21-2-2005 से दो वर्ष वृद्धि की गई थी.

2. श्री आदिथाला के अंत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति समाप्ति के पश्चात् दिनांक 21-02-2007 से 20-04-2007 तक (दो माह) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22 अप्रैल 2007 के शासकीय अवकाश (शनिवार एवं रविवार) को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

3. उक्त अवकाश अवधि समाप्ति पर श्री आदिथाला अपने पैतृक संवर्ग (हिमाचल प्रदेश) में उपस्थिति देंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2007

क्रमांक ई-7/44/2004/1/2.—श्री विकास शील, भा. प्र. से., प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर को दिनांक 01-03-2007 से 09-03-2007 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10 एवं 11 मार्च, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति तथा उक्त अवकाश अवधि में उन्हें स्वयं के व्यय पर (विदेश प्रवास) टोरन्टो, कनाडा की यात्रा करने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शील, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री शील, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शील, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

पर्यटन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 2-3/33/2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एम. जी. श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक (वित्त एवं प्रशासन) एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ प्राचार्य, होटल प्रबंध कैटरिंग तकनालॉजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, (Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition, Raipur, Chhattisgarh) रायपुर के पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. राधाकृष्णन, प्रमुख सचिव.

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2007

क्रमांक-एफ 3-01/2005/38.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01-03-2005 द्वारा डॉ. टी. डी. शर्मा, सेवानिवृत्त अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये नवगठित पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर के कुलपति पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया गया था.

2. पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम, 2006 के परिपालन में राज्य शासन द्वारा अब डॉ. टी. डी. शर्मा की नियुक्ति अवधि में 3 वर्ष की वृद्धि की जाती है.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2007

क्रमांक-एफ 3-02/2005/38.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01-03-2005 द्वारा श्री सच्चिदानंद जोशी, कुलसचिव, माखन लाल चतुर्वेदी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल को नवगठित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति किया गया था.

2. छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 के परिपालन में राज्य शासन द्वारा अब श्री सच्चिदानंद जोशी की नियुक्ति अवधि में 3 वर्ष की वृद्धि की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक 345/एफ-21/77/2/13/2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभिन्न निवेशकों के साथ राज्य शासन एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के मध्य ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु किये गये एम. ओ. यू. के अधीन परियोजना से राज्य को वेरियबल कॉस्ट (Energy Charges) पर मिलने वाली बिजली एवं उक्त परियोजना से उत्पादित विद्युत का 30 प्रतिशत अंश खरीदने के प्रथम अधिकार के अनुसार आवेदक कंपनी से विद्युत क्रय अनुबंध हस्ताक्षरित करने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को राज्य शासन के अधिकृत एजेन्सी के रूप में आगामी आदेश तक अधिकृत करता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक 347/एफ-21/77/2/13/2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लिमिटेड, राज्य शासन एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के मध्य दिनांक 03-04-2006 को राज्य में 1200 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु किये गये एम. ओ. यू. के अधीन परियोजना से राज्य को वेरियबल कॉस्ट (Energy Charges) पर मिलने वाली बिजली एवं उक्त परियोजना से उत्पादित विद्युत का 30 प्रतिशत अंश खरीदने हेतु आवेदक कंपनी एवं विद्युत मण्डल के मध्य दिनांक 29-9-2006 को हस्ताक्षरित विद्युत क्रय अनुबंध के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को राज्य शासन के अधिकृत एजेन्सी के रूप में उक्त तिथि से अधिकृत करता है.

यह आदेश दिनांक 29-9-2006 से प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2007

क्रमांक 59/SS (E)/एफ-21/01/2/तेरह/2007.—राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (बी. पी. एल.) परिवारों को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल से जारी किये गये एक बत्ती विद्युत कनेक्शनों के अंतर्गत की गई बिजली की खपत के एवज में देयक भुगतान के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं :-

1. विद्युत मण्डल से प्राप्त मांग अनुसार राज्य में बी. पी. एल. परिवारों के द्वारा दिनांक 01-07-2005 से दिनांक 31-12-2006 की अवधि में देय बकाया राशि, यथा रुपये 14.32 करोड़, का भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा. तद्नुसार दिनांक 31-12-2006 की स्थिति में प्रत्येक संबंधित उपभोक्ता को बकाया राशि निरंक दर्शाते हुए संशोधित बिजली देयक जारी किया जाएगा.

2. दिनांक 01-01-2007 से राज्य में बी. पी. एल. उपभोक्ताओं को जारी किये गये कनेक्शनों पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2006 से लागू किए गए टैरिफ आदेश में प्रावधानित शर्तों के अधीन, प्रत्येक माह अधिकतम 30 यूनिट खपत की सीमा में नि:शुल्क बिजली की सुविधा प्रदान की जावेगी.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 10-2/2006/13/1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षकालय, छ. ग. रायपुर के अंतर्गत रायपुर उपसंभागीय कार्यालय को विभाजित कर क्रमशः उपसंभाग (वि. सु.) रायपुर क्रमांक-1 एवं क्रमांक-2 कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान करता है.

2. उक्त विभाजन के फलस्वरूप उपसंभाग रायपुर क्रमांक-1 के अंतर्गत विद्युत मण्डल के क्रमशः रायपुर पूर्व, रायपुर पश्चिम, रायपुर उरला एवं संचालन एवं संधारण वृत्त रायपुर का (ओ/एम) संभाग रायपुर क्षेत्र निर्धारित होंगे. तथा उपसंभाग क्रमांक-2 के अंतर्गत रायपुर संचारण एवं संधारण वृत्त के अंतर्गत आने वाले विद्युत मण्डल (ओ एण्ड एम) के महासमुन्द, धमतरी, भाटापारा एवं राजिम संभाग क्षेत्र निर्धारित होंगे.

3. रायपुर उपसंभाग क्रमांक-2 की स्थापना हेतु निम्नलिखित पद निर्माण (आवर्ती व्यय) की स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या
1.	सहायक अभियंता (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक	रु. 8000-13500	01
2.	उप-अभियंता	रु. 5000-8000	03
3.	सहायक श्रेणी-2	रु. 4000-6000	01
4.	सहायक श्रेणी-3	रु. 3050-4590	02
5.	विद्युतकार	रु. 3050-4590	01
6.	जांच अनुचर	रु. 2750-4400	01
7.	भृत्य	रु. 2550-3200	01
		कुल	10 पद

उपरोक्त पदों के अतिरिक्त जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर निम्नलिखित पद भी रहेंगे :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या
1.	चौकीदार (पूर्णकालिक)	कलेक्टर दर पर	01
2.	स्वीपर (अंशकालीन)	कलेक्टर दर पर	01
		कुल	02 पद

4. उपरोक्त नवीन उपसंभाग रायपुर क्रमांक-2 की स्थापना के लिये अनावर्ती व्यय के अंतर्गत निम्नानुसार फर्नीचर/सामग्री, छ. ग. स्टेट इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर से क्रय किये जाने की सहमति प्रदान करता है :-

क्र.	फर्नीचर/सामग्री	मात्रा	दर	राशि
1.	टेबल एक्जीकेटिव्ह साईज 180x120x75 सेमी.	01	6871=00	6871=00
2.	टेबल साधारण	07	2168=00	15176=00
3.	कुर्सी	12	644=00	7728=00
4.	पेपर टेक	06	155=00	930=00
5.	पेपर ट्रे	06	109=00	654=00
6.	फाईल रेक 1829x838x450 एम. एम.	04	1702=00	6808=00
7.	स्टूल	02	393=00	786=00
8.	आलमारी 78"x36"x19 (लॉकर सहित)	01	5491=00	5491=00
9.	आलमारी 78"x36"x19 (लॉकर सहित)	01	4795=00	4795=00
			योग	49239=00
			12.5 प्रतिशत टैक्स	6155=00
			कुल योग	55394=00

5. उपरोक्त नवीन उपसंभागीय कार्यालय रायपुर क्रमांक-2 की स्थापना के लिए आवर्ती व्यय रुपये 4.00 लाख (चार लाख रुपये) एवं अनावर्ती व्यय रुपये 0.55 लाख (पचपन हजार रुपये) कुल रुपये 4.55 लाख (चार लाख पचपन हजार रुपये) मात्र विमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

6. यह व्यय मांग संख्या-12, मुख्य शीर्ष-2045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क-103-संग्रह प्रभार बिजली शुल्क के अंतर्गत विकलनीय होगा.

7. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. जावक क्रमांक 102/सीएन 9604/बजट-5/वित्त/चार/2007, दिनांक 2-2-07 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवासीष दास, विशेष सचिव.

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 5-07/2004/42.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01-03-2005 द्वारा डॉ. बी. के. स्थापक, सेवानिवृत्त प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर (छ. ग.) को नवगठित स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के कुलपति पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया गया है.

2. डॉ. स्थापक की नियुक्ति छ. ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा-15 के तहत (अर्थात् 02 वर्ष के लिए) प्रथम कुलपति के रूप में की गई थी. छ. ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) (क्रमांक 15 सन् 2006) विधेयक, 2006 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-15 में दो वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष प्रतिस्थापित किया गया है. अत: राज्य शासन द्वारा डॉ. स्थापक की पदावधि 03 वर्ष बढ़ाई जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. वैरागी, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2007

क्रमांक एफ-18-07/06/11/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक नीति 2004-09 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों के लिये निम्नानुसार अतिरिक्त सुविधाएं/अनुदान घोषित करता है :-

1. **मार्जिन मनी ऋण:-** औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु बैंक से ऋण लेने पर सामान्यत: परियोजना लागत का 25% राशि मार्जिन मनी के रूप में आवेदक को स्वयं लगाना होता है. राष्ट्रीयकृत बैंक/अधिसूचित बैंक से ऋण प्राप्त कर औद्योगिक इकाईयों की स्थापना करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उनकी मार्जिन मनी का 15% राशि जो अधिकतम रुपये 15 लाख होगा, शासन के द्वारा "मार्जिन मनी ऋण" के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा. मार्जिन मनी ऋण पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, किन्तु 1% की दर से सर्विस चार्ज देय होगा. मार्जिन मनी ऋण का भुगतान एवं वसूली संबंधित बैंक के माध्यम से होगी.

2. **परियोजना प्रतिवेदन अनुदान :-** अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों को निम्नानुसार परियोजना प्रतिवेदन अनुदान दिया जायेगा :-

(अ) सामान्य क्षेत्र के लिये - परियोजना लागत का 1% अधिकतम सीमा रुपये 2 लाख

(ब) अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लिये - परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में किये गये व्यय की शत-प्रतिशत राशि, अधिकतम सीमा रुपये तीन लाख.

उक्त सुविधायें औद्योगिक नीति 2004-09 लागू होने की दिनांक से देय होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 8-1/2007/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन. टी. पी. सी. कोरबा के बायलर क्रमांक-एम. पी./3748 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 20-2-2007 से 31-07-2007 तक की छूट प्रदान करता है :-

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 01-106/स्था./31/2006.—राज्य शासन एतद्द्वारा, जल संसाधन विभाग में अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर, पदोन्नति हेतु भर्ती नियम में निर्धारित अर्हकारी सेवा अवधि 05 वर्ष एवं मुख्य अभियंता से प्रमुख अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हकारी सेवा अवधि 02 वर्ष के स्थान पर क्रमश: एक-एक वर्ष की छूट देने की सामान्य प्रशासन विभाग के सहमति फलस्वरूप, उपरोक्त संवर्गों में एक वर्ष के लिए निर्धारित अर्हकारी सेवा अवधि में एक-एक वर्ष के लिए छूट दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 19 फरवरी 2007

क्रमांक/53/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	कुरिष्टीपुर	2.94	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	बांधापारा तालाब योजना अंतर्गत तालाब निर्माण हेतु चाहिए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक/1024/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	विक्रमपुर प. ह. नं. 3	5.48	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	गंजी गंजा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक/1025/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव.	खैरागढ़	कटंगी खुर्द प. ह. नं. 2	3.16	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	गंजी गंजा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक/1037/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	जराही प. ह. नं. 17	0.14	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	जराही जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 36/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	बिरगहनी	0.320	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. संभाग क्र. 1, बिलासपुर.	तखतपुर-पथरिया मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जनवरी 2007

क्रमांक 1/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	अंधियारखोह	0.437	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	सेमरहा जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जनवरी 2007

क्रमांक 3/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	अंधियारखोह	4.056	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	सेमरहा जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जनवरी 2007

क्रमांक 6/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	कोरजा	6.953	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	गांगपुर जलाशय डूब क्षेत्र, मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जनवरी 2007

क्रमांक 7/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	गांगपुर	7.521	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	गांगपुर जलाशय मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2007

रा. प्र. क्र. 2/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	पुटपुरा	2.060	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2007

रा. प्र. क्र. 03/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	पथरगढ़ी	3.583	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2007

रा. प्र. क्र. 04/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	भुलनकॉपा	2.712	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2007

रा. प्र. क्र. 05/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	भरेवा	3.708	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक /01/अ-82/2006-07/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	पिपरानार	2.14	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., सीपत	एन. टी. पी. सी., सीपत रेलपथ निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक /02/अ-82/2006-07/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	बिटकुला	1.40	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., सीपत	एन. टी. पी. सी., सीपत रेलपथ निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक/03/अ-82/2006-07/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	खम्हरिया	1.07	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., सीपत	एन. टी. पी. सी., सीपत रेलपथ निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक /04/अ-82/2006-07/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	उड़ांगी	0.94	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., सीपत	एन. टी. पी. सी., सीपत रेलपथ निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक/05/अ-82/2006-07/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	मड़ई	7.28	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., सीपत	एन. टी. पी. सी., सीपत रेलपथ निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक/06/अ-82/2006-07/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	निरतू	3.32	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., सीपत	एन. टी. पी. सी., सीपत रेलपथ निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक/07/अ-82/2006-07/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	लुतरा	0.84	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., सीपत	एन. टी. पी. सी., सीपत रेलपथ निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक /08/अ-82/2006-07/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	धनिया	0.36	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., सीपत	एन. टी. पी. सी., सीपत रेलपथ निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक/09/अ-82/2006-07/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	रांक	2.47	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., सीपत	एन. टी. पी. सी., सीपत राखड़बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जनवरी 2007

क्रमांक 194/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	पोरथा प. ह. नं. 10	0.833	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-5, खरसिया.	डोंगिया माइनर नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2007

क्रमांक 198/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	जैजैपुर प. ह. नं. 14	0.070	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	मुक्ता उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2007

क्रमांक 201/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धोरा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	टाटा प. ह. नं. 09	0.182	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	टाटा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक 199/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जोंगरा	0.162	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर, संभाग क्र. 5, खरसिया.	खरसिया शाखा नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक 202/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जोंगरा	0.255	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	सरवानी वितरक नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक 203/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	देवरी	0.154	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	ढोलनार उप वितरक

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	भैसो प. ह. नं. 4	8.082	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मुख्यालय चांपा.	छ: डोलिया जलाशय के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पामगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बड़े डूमरपाली प. ह. नं. 13	1.411	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	खरसिया - धर्मजयगढ़ राजमार्ग क्रमांक 23 के निर्माण संबंधी निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	आड़पथरा प. ह. नं. 6	0.267	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	खरसिया - धर्मजयगढ़ राजमार्ग क्रमांक 23 के निर्माण संबंधी निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	नवागांव प. ह. नं. 6	0.093	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	खरसिया - धर्मजयगढ़ राजमार्ग क्रमांक 23 के निर्माण संबंधी निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	छोटे डूमरपाली प. ह. नं. 13	0.662	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	खरसिया - धर्मजयगढ़ राजमार्ग क्रमांक 23 के निर्माण संबंधी निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	भालूनारा प. ह. नं. 6	0.198	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	खरसिया - धर्मजयगढ़ राजमार्ग क्रमांक 23 के निर्माण संबंधी निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कृष्णापुर प. ह. नं. 14	4.266	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना, सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना मुख्य नहर निर्माण के अंतर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बरमुड़ा प. ह. नं. 14	12.581	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना, सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना मुख्य नहर निर्माण के अंतर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	भगवानपुर प. ह. नं. 14	4.921	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना, सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना मुख्य नहर निर्माण के अंतर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	खैरपुर प. ह. नं. 14	1.953	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना, सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना मुख्य नहर निर्माण के अंतर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कलमी प. ह. नं. 14	23.323	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना, सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना मुख्य नहर निर्माण के अंतर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	आमाघाट प. ह. नं. 37	8.537	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना, सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो [illegible] क्षेत्र [illegible]

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	गोढ़ी प. ह. नं. 38	1.665	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना, सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र के लिये निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	राटरोट प. ह. नं. 36	6.339	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना, सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र के लिये निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	कसडोल प. ह. नं. 36	16.921	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना, सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र के लिये निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 879/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पहाड़हंसवाही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13/1	0.07
योग	0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुड़रू व्यपवर्तन योजना के माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 15 फरवरी 2007

क्रमांक/1415/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-सोमाझिटिया, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.366 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
323/1	0.273
218/4	0.809
202	0.262
334/2	0.162
337/5	0.243
298	0.061
302	0.085
255/3	0.041
255/2	0.065
297/1	0.041
300	0.162
294/1	0.162
योग 12	2.366

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज परियोजना के डोंगरगांव वितरक नहर एवं लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा बॅराज परियोजना जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 फरवरी 2007

क्रमांक/1416/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-ठाकुरबांधा, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.145 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
182/1	0.314
182/2	0.225
183	0.142
187	0.282
186/1	0.040
186/2	0.045
159/2	0.217
186/3	0.057
28/2	0.122
184	0.242
9/2	0.110
26/8	0.069
26/11	0.033
25/5	0.077
25/6	0.101
26/10	0.069
योग 16	2.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा बॅराज परियोजना जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 फरवरी 2007

क्रमांक/1417/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-चोरहाबंजारी, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.064 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	258/1	0.250
	258/2	0.161
	269/1	0.245
	259/3	0.081
	260	0.145
	272/1	0.081
	261	0.169
	265	0.105
	266/4	0.045
	266/5	0.125
	267	0.105
	269/2	0.192
	270	0.202
	271	0.113
	273	0.045
योग	15	2.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा बॅराज परियोजना जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 फरवरी 2007

क्रमांक/141[illegible]/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-चिरचारीकला, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.395 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
632/1	0.266
630/1	0.125
630/2	0.032
631/2	0.024
428/2	0.056
428/3	0.081
442/1	0.222
442/2	0.121
442/3	0.185
443/1	0.089
623	0.101
624/1	0.081
624/2	0.202
624/3	0.041
691	0.162
696	0.225
697	0.138
704/1	0.056
704/3	0.056
704/2	0.056
704/4	0.052
736/1	0.202
736/2	0.162
741	0.077
740/2	0.012
746/2	0.089
759	0.024
764	0.328

(1)	(2)
835	0.639
843	0.081
864/1	0.437
863/4	0.478
1082/2	0.236
1080/1	0.185
1085/4	0.193
1078/5	0.144
1078/4	0.056
1077/1	0.162
1077/2	0.153
1085/5	0.189
629/4	0.177
योग 41	6.395

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज परि-योजना के बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा बॅराज परियोजना जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-कौड़िया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
508	0.01
योग	0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी., सीपत ताप विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-रांक
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1825/6	0.34
योग	0.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी., सीपत ताप विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-दर्राभांठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	16/4	0.25
योग		0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रेल पथ निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-गतौरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.67 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	32/3	0.17
	33/1	0.05
	34/1	0.18
	36	0.02
	37/2	0.32
	37/3	0.07
	37/6	0.07
	37/7	0.43
	41/2	0.02
	42/1	0.02
	43/4	0.03
	55/1, 56/1	0.40
	57/3	0.02
	57/5	0.09
	70/1	0.39
	71/1	0.06
	273/3	0.06
	406/1	0.10
योग	17	2.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी., सीपत परियोजना की रेल्वे साईडिंग/एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 23 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-शकरबोगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.127 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
339/2	0.502
341	0.951
344/4	0.405
350/4	0.809
339/3	0.061
343	0.101
344/5	0.405
340	1.275
344/2	0.809
350/2	0.809
योग	6.127

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- केलो सेतु पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बालमगोड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.738 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
77/1 ख	0.036
79	0.101
78	0.154
105	0.08
103	0.012
131/4	0.020
472	0.045
77/2	0.016
102/1	0.012
104	0.08
107	0.036
128	0.008
132	0.012
474/2	0.040
484	0.045
102/2	0.020
133/1	0.040
127	0.004
129	0.020
134/1	0.077
473	0.024
योग	0.738

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुसमुरा-तारापुर मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बायंग
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.753 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
896/14	0.077
896/18 क	0.093
896/18 ख	0.093
896/2, 898/1, 899/1	0.069
896/8	0.052
896/16	0.016
896/27 क	0.036
896/11	0.16
896/4 ख	0.056
871/1	0.024
896/27 ख	0.036
896/3	0.052
896/20, 898/2, 899/3	0.020
867/2	0.044
871/2	0.069
योग	0.753

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बायंग-कछार मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कछार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.606 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
702/3	0.121
785/2 ड से 785/2 ज	0.376
778/2	0.012
702/2	0.004
703	0.004
785/1 क से 785/1 छ	0.081
784/3	0.008
योग	0.606

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कछार-बायंग मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पटेलपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.028 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
115/2	0.013
115/8	0.015
योग	0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- शाखा नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-धनागर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.387 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
118/2	0.113
143	0.741
166/2	0.162
145/3	0.137
141	0.299
166/4	0.089
142/3	0.032
130/6	0.032
168	0.316
136/2	0.057
166/1	0.198
136/5	0.036
130/2	0.146
165/1	0.028
146	0.219
167	0.863
145/2	0.172
140	0.067
119/6	0.202
142/2	0.036
130/4	0.081
166/5	0.089
136/1	0.977
118/3	0.109
136/4	0.036
119/8	0.425
139	0.032
144	0.295
166/3	0.036
142/10	0.069
137	0.199
120	1.624
138/1	0.020
130/1	0.146
119/4	0.202
129	0.340
145/1	0.617
136/3	0.089
119/7	0.162
135	0.457
130/5	0.032
165/2	0.405
योग	10.387

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक स्थापना के लिए भू-अर्जन.

(3) भूमि नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा, छत्तीसगढ़

कोरबा, दिनांक 1 मार्च 2007

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 315 दिनांक 23 दिसम्बर 2006.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को अधिसूचना क्रमांक 5, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 146-164 दिनांक 02 फरवरी 2007 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड परियोजना के लिये जल परिवहन हसदेव नंदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02 फरवरी 2007 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पताढ़ी (शासकीय भूमि)				
कोरबा	कोरबा	पताढ़ी/प. ह. नं. 7	27	0.02
			43/1-क/1	0.04
			43/1-ख,	0.01
			43/1-ग,	
			43/1-ण,	
			43/1-न	
			43/1-द	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			43/1-ढ़	0.01
			43/2	0.01
			128/3	0.02
कुल पताढ़ी (शासकीय भूमि)				**0.12**
पताढ़ी (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	पताढ़ी/प. ह. नं. 7	3/5, 134, 135	0.02
			28	0.01
			32	0.01
			33/1	0.01
			34/1	0.01
			39/1, 38/1, 41/2	0.02
			40	0.01
			41/1, 42	0.02
			116	0.01
			117/2	0.03
			124/1	0.01
			124/2	0.01
			124/4	0.01
			125	0.04
			131	0.01
			132	0.01
			133, 136, 141, 142/2, 143	0.01
			144/1, 145/1, 146	0.01
			144/2, 145/3	0.01
कुल पताढ़ी (निजी भूमि)				**0.27**
कुल पताढ़ी (शासकीय भूमि)				0.12
कुल पताढ़ी (निजी भूमि)				0.27
कुल पताढ़ी की अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि				**0.39**

दिनांक : 01-03-2007

स्थान : कोरबा (छ. ग.)

Korba, the 1st March 2007

FORM-D
(See Rule 6)

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Number 315.—Whereas by notification of the Competent Authority number 5, part-1, Pages 146-164 dated 02 February 2007, issued under Sub-section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the pipelines for transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal , Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi, Tehsil/District Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s Lanco Amarkantak Power Private Limited.

And that notification published in the official Gazette on 02 February 2007 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 4 of the said Act, the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2) of Section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the State Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District (1)	Tehsil (2)	Village/ P. C. N. (3)	Khasra No. (4)	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres) (5)
Patadi (Government Land)				
Korba	Korba	Patadi/P. C. N. 7	27	0.02
			43/1-क/1	0.04
			43/1-ख, 43/1-ग, 43/1-ण, 43/1-न	0.01
			43/1-द	0.01
			43/1-ढ़	0.01
			43/2	0.01
			128/3	0.02
Sub Total Patadi (Government Land)				**0.12**
Patadi (Private Land)				
Korba	Korba	Patadi/P. C. N. 7	3/5, 134, 135	0.02
			28	0.01
			32	0.01
			33/1	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			34/1	0.01
			39/1, 38/1, 41/2	0.02
			40	0.01
			41/1, 42	0.02
			116	0.01
			117/2	0.03
			124/1	0.01
			124/2	0.01
			124/4	0.01
			125	0.04
			131	0.01
			132	0.01
			133, 136, 141, 142/2, 143	0.01
			144/1, 145/1, 146	0.01
			144/2, 145/3	0.01
Patadi- Sub Total (Private Land)				**0.27**
Patadi- Sub Total (Government Land)				0.12
Patadi- Sub Total (Private Land)				0.27
Patadi- Total of Proposed Land to be Acquired				**0.39**

Date : 01-03-2007

Place : Korba (C. G.)

कोरबा, दिनांक 1 मार्च 2007

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 315 दिनांक 23 दिसम्बर 2006.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को अधिसूचना क्रमांक 5, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 146-164 दिनांक 02 फरवरी 2007 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड परियोजना के लिये जल परिवहन हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02 फरवरी 2007 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2), द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खोड्डल (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	खोड्डल/प. ह. नं. 7	200/3, 201	0.01
			203/4	0.01
			203/5	0.01
			203/7	0.01
			203/8	0.01
			203/13	0.02
			208/1	0.01
कुल खोड्डल (निजी भूमि) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि				**0.08**

दिनांक : 01-03-2007

स्थान : कोरबा (छ. ग.)

Korba, the 1st March 2007

FORM-D
(See Rule 6)

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Number 315.—Whereas by notification of the Competent Authority number 5, part-1, Pages 146-164 dated 02 February 2007, issued under Sub-section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the pipelines for transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi, Tehsil/District Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s Lanco Amarkantak Power Private Limited.

And that notification published in the official Gazette on 02 February 2007 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 4 of the said Act, the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2), of Section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the State Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Private Land				
Korba	Korba	Khoddle/P. C. N. 7	200/3, 201	0.01
			203/4	0.01
			203/5	0.01
			203/7	0.01
			203/8	0.01
			203/13	0.02
			208/1	0.01
Khoddle- Total Proposed Land to be Acquired				**0.08**

Date : 01-03-2007

Place : Korba (C. G.)

कोरबा, दिनांक 1 मार्च 2007

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 315 दिनांक 23 दिसम्बर 2006.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को अधिसूचना क्रमांक 5, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 146-164 दिनांक 02 फरवरी 2007 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड परियोजना के लिये जल परिवहन हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02 फरवरी 2007 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2), द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उरगा (शासकीय भूमि)				
कोरबा	कोरबा	उरगा/प. ह. नं. 7	1267	0.02
उरगा कुल (शासकीय भूमि)				**0.02**
उरगा (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	उरगा/प. ह. नं. 7	1149/2	0.01
			1150	0.03
			1151	0.03
			1153/1	0.02
			1153/3	0.02
			1153/6	0.02
			1162/1-ङ	0.03
			1162/1-ष	0.01
			1164, 1165/1, 1166	0.01
			1165/3	0.04
			1165/4	0.01
			1172	0.01
			1173/1, 1175/1, 1177/1	0.01
			1173/3, 1175/3, 1177/3	0.01
			1173/4, 1175/4, 1177/4	0.01
			1174	0.03
			1179	0.01
			1185	0.02
			1186	0.01
			1176	0.01
उरगा कुल (निजी भूमि)				**0.35**
उरगा कुल (शासकीय भूमि)				0.02
उरगा कुल (निजी भूमि)				0.35
उरगा की कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि				**0.37**

दिनांक : 01-03-2007

स्थान : कोरबा (छ. ग.)

Korba, the 1st March 2007

FORM-D
(See Rule 6)

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Number 315.—Whereas by notification of the Competent Authority number 5, part-1, Pages 146-164 dated 02 February 2007, issued under Sub-section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the pipelines for transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal , Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi, Tehsil/District Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s Lanco Amarkantak Power Private Limited.

And that notification published in the official Gazette on 02 February 2007 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 4 of the said Act, the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2) of Section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the State Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Urga (Government Land)				
Korba	Korba	Urga/P. C. N. 7	1267	0.02
Urga- Sub Total (Government Land)				**0.02**
Urga (Private Land)				
Korba	Korba	Urga/P. C. N. 7	1149/2	0.01
			1150	0.03
			1151	0.03
			1153/1	0.02
			1153/3	0.02
			1153/6	0.02
			1162/1-ङ	0.03
			1162/1-ष	0.01
			1164, 1165/1, 1166	0.01
			1165/3	0.04
			1165/4	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1172	0.01
			1173/1, 1175/1, 1177/1	0.01
			1173/3, 1175/3, 1177/3	0.01
			1173/4, 1175/4, 1177/4	0.01
			1174	0.03
			1179	0.01
			1185	0.02
			1186	0.01
			1176	0.01
Urga- Sub Total (Private Land)				**0.35**
Urga- Sub Total (Government Land)				0.02
Urga- Sub Total (Private Land)				0.35
Urga- Total Proposed Land to be Acquired				**0.37**

Date : 01-03-2007

Place : Korba (C. G.)

कोरबा, दिनांक 1 मार्च 2007

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 315 दिनांक 23 दिसम्बर 2006.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को अधिसूचना क्रमांक 5, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 146-164 दिनांक 02 फरवरी 2007 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड परियोजना के लिये जल परिवहन हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02 फरवरी 2007 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सेमीपाली (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	सेमीपाली/प. ह. नं. 7	475/3	0.03
			476/1	0.01
			476/2	0.01
			497	0.02
			498	0.01
			499	0.01
			502/1	0.01
			502/2	0.01
			504	0.01
सेमीपाली कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि				**0.12**

दिनांक : 01-03-2007

स्थान : कोरबा (छ. ग.)

Korba, the 1st March 2007

FORM-D
(See Rule 6)

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Number 315.—Whereas by notification of the Competent Authority number 5, part-1, Pages 146-164 dated 02 February 2007, issued under Sub-section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the pipelines for transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi, Tehsil/District Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s Lanco Amarkantak Power Private Limited.

And that notification published in the official Gazette on 02 February 2007 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 4 of the said Act, the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2) of Section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the State Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District (1)	Tehsil (2)	Village/ P. C. N. (3)	Khasra No. (4)	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres) (5)
Semipali- (Private Land)				
Korba	Korba	Semipali/P. C. N. 7	475/3	0.03
			476/1	0.01
			476/2	0.01
			497	0.02
			498	0.01
			499	0.01
			502/1	0.01
			502/2	0.01
			504	0.01
Semipali- Total Proposed Land to be Acquired				**0.12**

Date : 01-03-2007

Place : Korba (C. G.)

कोरबा, दिनांक 1 मार्च 2007

प्रारूप-घ.

(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 315 दिनांक 23 दिसम्बर 2006.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को अधिसूचना क्रमांक 5, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 146-164 दिनांक 02 फरवरी 2007 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड परियोजना के लिये जल परिवहन हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02 फरवरी 2007 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अखरपाली (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	अखरपाली/प. ह. नं. 6	545, 553	0.01
			549	0.01
			550/3	0.03
			550/4	0.01
			550/5	0.02
			551/1	0.01
			551/2	0.03
			554/1, 555/2, 556/13	0.01
			555/1, 556/8	0.01
अखरपाली कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि				**0.14**

दिनांक : 01-03-2007

स्थान : कोरबा (छ. ग.)

Korba, the 1st March 2007

FORM-D

(See Rule 6)

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Number 315.—Whereas by notification of the Competent Authority number 5, part-1, Pages 146-164 dated 02 February 2007, issued under Sub-section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act). the State Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the pipelines for transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi, Tehsil/District Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s Lanco Amarkantak Power Private Limited.

And that notification published in the official Gazette on 02 February 2007 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 4 of the said Act, the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2) of Section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the State Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Akharpali- (Private Land)				
Korba	Korba	Akharpali/P. C. N. 6	545, 553	0.01
			549	0.01
			550/3	0.03
			550/4	0.01
			550/5	0.02
			551/1	0.01
			551/2	0.03
			554/1, 555/2, 556/13	0.01
			555/1, 556/8	0.01
Akharpali- Total Proposed Land to be Acquired				**0.14**

Date : 01-03-2007

Place : Korba (C. G.)

कोरबा, दिनांक 1 मार्च 2007

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 315 दिनांक 23 दिसम्बर 2006.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को अधिसूचना क्रमांक 5, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 146-164 दिनांक 02 फरवरी 2007 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड परियोजना के लिये जल परिवहन हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02 फरवरी 2007 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
देवरमाल (शासकीय भूमि)				
कोरबा	कोरबा	देवरमाल/प. ह. नं. 6	796/1	0.01
देवरमाल कुल शासकीय भूमि				**0.01**
देवरमाल (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	देवरमाल/प. ह. नं. 6	784/2	0.02
			786/1	0.03
			786/3	0.01
			787/1	0.02
			787/2	0.02
			789/4	0.02
			789/5	0.03
			791/1	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			791/2	0.01
			792/2	0.01
			801/1	0.02
			801/2	0.01
			814/1	0.03
			815/1	0.01
			815/2	0.01
			821/2	0.01
			822/1	0.01
			822/2	0.01
			822/4	0.02
			825	0.02
			826/1	0.02
			827/4	0.04
			828/2	0.01
			829/1	0.02
			829/2	0.01
			830	0.01
			832/2	0.01
			789/6	0.01
देवरमाल कुल (निजी भूमि)				**0.46**
देवरमाल कुल (शासकीय भूमि)				0.01
देवरमाल कुल (निजी भूमि)				0.46
देवरमाल कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि				**0.47**

दिनांक : 01-03-2007

स्थान : कोरबा

Korba, the 1st March 2007

FORM-D
(See Rule 6)

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Number 315.—Whereas by notification of the Competent Authority number 5, part-1, Pages 146-164 dated 02 February 2007, issued under Sub-section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the pipelines for transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi, Tehsil/District Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s Lanco Amarkantak Power Private Limited.

And that notification published in the official Gazette on 02 February 2007 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 4 of the said Act, the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2) of Section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the State Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dewarmal (Government Land)				
Korba	Korba	Dewarmal/P. C. N. 6	796/1	0.01
Dewarmal- Sub Total (Government Land)				**0.01**
Dewarmal (Private Land)				
Korba	Korba	Dewarmal/P. C. N. 6	784/2	0.02
			786/1	0.03
			786/3	0.01
			787/1	0.02
			787/2	0.02
			789/4	0.02
			789/5	0.03
			791/1	0.01
			791/2	0.01
			792/2	0.01
			801/1	0.02
			801/2	0.01
			814/1	0.03
			815/1	0.01
			815/2	0.01
			821/2	0.01
			822/1	0.01
			822/2	0.01
			822/4	0.02
			825	0.02
			826/1	0.02
			827/4	0.04
			828/2	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			829/1	0.02
			829/2	0.01
			830	0.01
			832/2	0.01
			789/6	0.01
Dewarmal- Sub Total (Private Land)				**0.46**
Dewarmal- Sub Total (Government Land)				0.01
Dewarmal- Sub Total (Private Land)				0.46
Dewarmal- Total Proposed Land to be Acquired				**0.47**

Date : 01-03-2007

Place : Korba (C. G.)

कोरबा, दिनांक 1 मार्च 2007

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 315 दिनांक 23 दिसम्बर 2006.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को अधिसूचना क्रमांक 5, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 146-164 दिनांक 02 फरवरी 2007 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड परियोजना के लिये जल परिवहन हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02 फरवरी 2007 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कुदुरमाल (शासकीय भूमि)				
कोरबा	कोरबा	कुदुरमाल/प. ह. नं. 6	173/1	0.01
			273/1	0.01
कुदुरमाल कुल (शासकीय भूमि)				**0.02**
कुदुरमाल (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	कुदुरमाल/प. ह. नं. 6	176/6	0.01
			179/1, 283	0.01
			179/2	0.02
			180	0.03
			181/1	0.04
			282/1	0.06
			239/1	0.02
			239/2	0.01
			239/3	0.04
			249/1	0.02
			249/2, 250/2	0.01
			250/1	0.03
			250/4	0.01
			250/5	0.03
			250/6	0.02
			251/1	0.02
			251/3	0.02
			251/4	0.01
			251/6	0.01
			251/8	0.03
			251/9	0.01
			257/1	0.01
			257/2	0.02
			257/3	0.02
			257/4	0.01
			257/5	0.01
			258/2	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			258/4	0.03
			262	0.02
			263/4	0.03
			272/2	0.01
			273/2, 276	0.01
			278, 279, 282/3	0.01
			302, 305	0.01
			462/1	0.02
			462/2	0.03
कुदुरमाल- कुल (निजी भूमि)				**0.72**
कुदुरमाल कुल (शासकीय भूमि)				0.02
कुदुरमाल कुल (निजी भूमि)				0.72
कुदुरमाल कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि				**0.74**

दिनांक : 01-03-2007

स्थान : कोरबा (छ. ग.)

Korba, the 1 March 2007

FORM-D
(See Rule 6)

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Number 315.—Whereas by notification of the Competent Authority number 5, part-1, Pages 146-164 dated 02 February 2007, issued under Sub-section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the pipelines for transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi, Tehsil/District Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s Lanco Amarkantak Power Private Limited.

And that notification published in the official Gazette on 02 February 2007 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 4 of the said Act, the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2) of Section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipline shall vesting in the State Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kudurmal (Government Land)				
Korba	Korba	Kudurmal/P. C. N. 6	173/1	0.01
			273/1	0.01
Kudurmal- Sub Total (Government Land)				**0.02**
Kudurmal (Private Land)				
Korba	Korba	Kudurmal/P. C. N. 6	176/6	0.01
			179/1, 283	0.01
			179/2	0.02
			180	0.03
			181/1	0.04
			282/1	0.06
			239/1	0.02
			239/2	0.01
			239/3	0.04
			249/1	0.02
			249/2, 250/2	0.01
			250/1	0.03
			250/4	0.01
			250/5	0.03
			250/6	0.02
			251/1	0.02
			251/3	0.02
			251/4	0.01
			251/6	0.01
			251/8	0.03
			251/9	0.01
			257/1	0.01
			257/2	0.02
			257/3	0.02
			257/4	0.01
			257/5	0.01
			258/2	0.02
			258/4	0.03
			262	0.02
			263/4	0.03
			272/2	0.01
			273/2, 276	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			278, 279, 282/3	0.01
			302, 305	0.01
			462/1	0.02
			462/2	0.03
Kudurmal- Sub Total (Private Land)				**0.72**
Kudurmal- Sub Total (Government Land)				0.02
Kudurmal- Sub Total (Private Land)				0.72
Kudurmal- Total Proposed Land to be Acquired				**0.74**

Date : 01-03-2007

Place : Korba (C. G.)

सुधाकर खलखो,
अपर कलेक्टर.

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2007

आकस्मिक रिक्ति की सूचना

[छ.ग.न.पा.नि. अधिनियम 1956 की धारा 23 की उपधारा (2) (एक) के अंतर्गत]

क्रमांक/शा./दो/05/214/1397.—श्री चंद्रजीत नाग, निर्वाचित पार्षद वार्ड क्र. 34 नगरपालिक निगम जगदलपुर ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत दिनांक 10-10-2005 को लिखित रूप से निजी कारणों एवं परिस्थितियों की वजह से पार्षद के पद से त्याग-पत्र देते हुए उसे स्वीकार करने का निवेदन् किया है.

उक्तानुसार प्राप्त त्याग-पत्र की वास्तविकता के बारे में समाधान कर लिया गया है तथा उपरोक्त कारण की तुष्टि होने के उपरांत श्री चंद्रजीत नाग निर्वाचित पार्षद संजय गांधी वार्ड क्र. 34 नगरपालिक निगम जगदलपुर का पार्षद पद से दिनांक 10-10-2005 को दिया गया त्याग-पत्र एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है.

यह भी अधिसूचित किया जाता है कि श्री चंद्रजीत नाग के त्याग-पत्र के कारण नगरपालिक निगम जगदलपुर के संजय गांधी वार्ड क्र. 34 के पार्षद का पद रिक्त घोषित किया जाता है.

सी. के. खेतान,
आयुक्त-सह-संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 19 फरवरी 2007

क्रमांक /273/न.ग्रा.नि./07.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा 2 (क) के तहत राजनांदगांव निवेश क्षेत्र में छ. ग. शासन की अधिसूचना क्र./एफ 9-49/32/05 के तहत सम्मिलित किए गए 13 अतिरिक्त ग्रामों के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर शामिल ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है. उसकी एक-एक प्रति कलेक्टर कार्यालय जिला राजनांदगांव, एवं आयुक्त नगर पालिक निगम, राजनांदगांव के कार्यालय तथा प्रदर्शनी स्थल कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव के कार्यालयों में कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. राजनांदगांव निवेश क्षेत्र की सीमा पुनरीक्षित निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है :-

अनुसूची

राजनांदगांव निवेश क्षेत्र की पुनरीक्षित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम-पेण्डरी, बजरंगपुर नवागांव, ढाबा, गठुला, पार्री कलां, सुन्दरा ग्रामों के उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम मनकी, कन्हारपुरी, मोहड़, हरदी, सिंगदई, एवं सिंघोला ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम सिंघोला, भंवरमारा, बांकल एवं फरहद ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम फरहद, रेवाडीह एवं पेण्डरी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति एवं सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव द्वारा विचार किया जायेगा.

Rajnandgaon, the 19th February 2007

No./273/T&CP/2007.—Notice is hereby given that Planning Area of Rajnandgaon has been reconstituted under Sub-Section (2) (a) of Section 13 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide notification No./F 9-49/32/05, Raipur dated 25-06-05, 13 villages have been additionally included for which the existing land use maps and register prepared under Sub-Section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection during office hours in the offices of District Collector, Rajnandgaon, Commissioner, Municipal Corporation, Rajnandgaon and Exhibition place-Office of Assistant Director Town & Country Planning Rajnandgaon. The limit of the reconstituted Rajnandgaon Planning Area is defined in the Schedule given below :-

SCHEDULE

Reconstituted Limits of the Planning Area Rajnandgaon

North : Village Pendri, Bajrangpur-Navagaon, Dabha, Parri Kalan & Manki and up to Northern limits of Village Manki.

East : Village Manki, Kanharpuri, Mohad, Hardi, Singdhai & Singhola and up to Eastern limits of Village Singhola.

South : Village Singhola, Bhawarmiara, Bakal & Farhad and up to Southern limits of Village Farhad

West : Village Farhad, Rewadih & Pendri and up to Western limits of Village Pendri

Any objection or suggestion regarding the Existing Land Use maps so prepared, it should be given in writing to the Assistant Director, Town & Country Planning, Rajnandgaon, within a period of 30 days from the date of publication of notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said existing land use maps before the period specified above will be considred by the Assistant Director Town & Counrty Planning Rajnandgaon

विनीत नायर,
सहायक संचालक.